भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता

<u>दाण्डिक अपीलीय संख्या 2239-2240/2022</u>

(SLP (Crl) No. 10707-10708 of 2022)

राजस्थान राज्य अपीलकर्ता (एस)

बनाम

कोमल लोढ़ा प्रत्यर्थी (एस)

आदेश

<u>एम. आर. शाह, जे</u>.

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर द्वारा डी. बी. दाण्डिक अपीलीय संख्या 374/2019 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.05.2002, जिसके द्वारा इस न्यायालय द्वारा मामले को भेजने पर, उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया है, से आहत और असंतुष्ट होकर राज्य ने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की है। इसके अलावा राज्य आक्षेपित आदेश के पैरा संख्या 42 में उच्च न्यायालय द्वारा किये गए निरीक्षण से भी आहत है ।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों के तथ्य निम्नानुसार हैंः

2.1 यह कि प्रत्यर्थी अभियुक्त को विचारण न्यायालय ने धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को यांत्रिक रूप से और गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किए बिना, जिन पर मृत्युदंड के मामले

पर विचार करते समय विचार किए जाने की आवश्यकता थी, आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया है। यह मामला राज्य द्वारा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के विरुद्ध इस न्यायालय में लाया गया।

2.2 दिनांक 06.01.2002 के निर्णय और आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने राज्य की ओर से पेश होने वाले वकील के साथ-साथ अभियुक्त की ओर से मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सुनने के बाद रद्द कर दिया और मामले को उच्च न्यायालय को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 302 के तहत अपराध के लिए दंडादेश के प्रश्न पर विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित किया, अर्थात्, चाहे मृत्युदंड और/या आजीवन कारावास या कोई अन्य उपयुक्त दंडादेश पारित किया जावे। तत्पश्चात्, प्रतिप्रेषण पर उच्च न्यायालय ने न केवल गुरुतरकारी और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत किया है, बल्कि पैरा 42 में अन्वेषण पर भी कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की हैं और यह कि जब इस न्यायालय ने आदेश पारित किया था तो कतिपय पहलुओं को इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था और इस न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए अभियुक्त प्रत्यर्थी को कोई सहायता नहीं दी गई थी। आक्षेपित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय ने इस मामले की नए सिरे से जांच करने का भी निर्देश दिया है ताकि कुछ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके, जिनके डीएनए मृतक के परिजनों से हत्या, बलात्कार, लैंगिक और पोक्सो के अपराध के लिए प्राप्त किए गए थे।

3 राज्य और श्री के. वी. विश्वनाथन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, प्रत्यर्थी अभियुक्त की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय

और आदेश, विशेष रूप से पैरा 42 में की गई टिप्पणियों को देखने के बाद, हमारी राय है कि पैरा 42 में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां आत्यन्तिक रूप से अवांछित हैं और न्यायिक अनुशासन और औचित्य के खिलाफ हैं। जब इस न्यायालय ने पहले भा.दं.सं. की धारा 302के तहत अपराध के लिए अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद अभियुक्त की दोषसिद्धि की पुष्टि की, उसके बाद, उच्च न्यायालय के लिए जांच और/या मामले के गुण-दोष के आधार पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं था ।

4. उच्च न्यायालय को भी पैराग्राफ 42 में यह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि कुछ पहलुओं को इस न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था और इस न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए अभियुक्त को कोई सहायता प्रदान नहीं की गई थी और यह कि इसमें अभियुक्त-प्रत्यर्थी का पक्ष सुने बिना दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि जब इस न्यायालय ने दंडादेश के लिए मामले को फिर से भेजने का आदेश पारित किया और दोषसिद्धि की पुष्टि की, तो इस न्यायालय ने आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना । इसलिए, उच्च न्यायालय यह टिप्पणी करने में भी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर आरोपी का पक्ष सुने बिना दोषसिद्धि की पुष्टि की।

न्यायिक अनुशासन की अपेक्षा है कि एक बार इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि हो जाने के बाद भी अभियुक्त को सुनने के बाद उच्च न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, विशेष रूप से, जब इस न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की विशेष रूप से पुष्टि की गई थी और मामले को केवल दंड पर विचार करने के प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया था, अर्थात्,

चाहे मृत्युदंड और/या आजीवन कारावास या कोई अन्य उपयुक्त दंड। यहां तक कि वर्तमान मामले में आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. वी. विश्वनाथन ने भी इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि पैराग्राफ 42 में की गई टिप्पणियां आत्यन्तिक रूप से अवांछित है और टिकने योग्य नहीं हैं। मामले को वहीं छोड़ते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 42 में की गई टिप्पणियों को दरकिनार करते है ।

5. अब जहां तक उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत करने के आक्षेपित निर्णय और पारित आदेश का संबंध है, हम उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, विशेष रूप से, जब उच्च न्यायालय ने गंभीर और कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लघुकृत कर दिया है।

6. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और उपर्युक्त कारणों से हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 42 को अपास्त और निष्कासित करते है। शेष आक्षेपित निर्णय और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।वर्तमान अपीलों को आंशिक रूप से पूर्वोक्त सीमा तक अनुज्ञात किया गया है।

न्यायमूर्ति (एम. आर. शाह)

न्यायमूर्ति (एस. रविन्द्र भट)

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

(Translation has been done through AI Tool : SUVAS with the help of Translator)

Disclaimer : The translated judgment in vernacular language made for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purposes. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.